

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक:सं.27-3(1)पदो./अभि./23/8480-855 जयपुर,दिनांक: 18/9/23

पदोन्नति आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 36 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी के पद पर वेतन श्रृंखला (Pay Matrix Level: L-15) में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर वर्ष 2023-24 में उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम पदोन्नत अधिकारी	वर्ग	रिक्ति की दिनांक
01.	श्री राजेन्द्र कुमार सोनी पुत्र श्री सत्यनारायण (सेवा.)	अनारक्षित	01.04.2023
02.	श्री राधा कृष्ण मीणा पुत्र श्री बंशीलाल(सेवा.)	अ.ज.जा.	01.04.2023
03.	श्री राजेश गर्ग पुत्र श्री बृजनन्दन	अनारक्षित	01.04.2023
04.	श्री रामगोपाल पारीक पुत्र श्री रामेश्वर लाल(सेवा.)	अनारक्षित	01.04.2023
05.	श्री शिवशंकर पुत्र श्री रमेशदास	अनारक्षित	01.04.2023
06.	श्री देवी प्रसाद शर्मा पुत्र श्री धनश्याम	अनारक्षित	01.04.2023
07.	श्रीमती तुलसी रामचंदानी पुत्री श्री होतचंद	अनारक्षित	01.04.2023
08.	श्री बिहारीलाल पुत्र श्री छाजूराम	अनारक्षित	01.04.2023
09.	श्री रमेशचंद जोईया पुत्र श्री जगन्नाथ	अ.जा.	01.04.2023

उक्त पदोन्नत अधिकारियों (सेवानिवृत्त कार्मिकों को छोड़कर) के संस्थापन अधिकारी के पद पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेगे। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
02. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि) राजस्थान जयपुर।
03. सामस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन.....
04. संस्थापन शाखा,मंत्रालयिक वरिष्ठ अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
05. सम्बन्धित अधिकारी.....द्वारा:- सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष।
06. निजी /रक्षित पत्रावली।

Signature valid

निदेशक अभियोजन
Digitally signed by Ravi Sharma
Designation: Director, जयपुर
Date: 2023.09.18 17:06:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4743636

